रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-21/2002/वा.कर/पांच (27).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्र. 816-635,वी.एस.आर., दिनांक 24-2-1975 में पुन: संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारिणी के उपशीर्ष छूट तथा निर्बंधन के 45 के बाद निम्न क्रमांक को जोड़ा जाता है :—

46. राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के पक्ष में वर्ष 2001-2002 में निष्पादित किये जाने वाले 3 करोड़ के ऋण से संबंधित बंधक विलेख पर उक्त अधिनियम की रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी के अनुच्छेद-1 के अधीन निर्दिष्ट दर का आधा करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2002

क्रमांक एफ-10-21-2002/वा.कर/पांच (27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-10-21-2002/वा.कर/पांच (27), दिनांक 7-3-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 7th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-21-2002/CT/V(27).—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), State Government hereby makes the following further amendment to the notification No. 816-635-VSR dated 24-2-1975 and publishes the same as required by Section 79 of the said Act namely :—

AMENDMENT

In the said notification in the table of registration fees, under the sub-heading exemption and reduction after item No. 45, the following item shall be added, namely :—

46. State Government reduces to one half of the rates specified in Article 1 of the Table of Registration fee under the said Act, mortgage deed to be executed by Chhattisgarh State Co-operative Housing Federation Ltd., Raipur in favour of Life Insurance Corporation of Inida in connection with the grant of loan of Rupees 3 Crores.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-19/2002/वा.कर (पं.)/पांच (31)—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-818-635-5, एस.आर. दिनांक 24 फरवरी, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है और उक्त अधिनियम की धारा 79 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उसे प्रकाशित करती है, अर्थात् -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, रजिस्ट्रीकारण फीस की सारणी में, अनुच्छेद -1 में, टिप्पण 6 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्त: स्थापित किया जाय, अर्थात् -

7. नये उद्योगों को बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करते समय पंजीकरण शुल्क में कमी करते हुए एक हजार रुपये पर एक रुपये पंजीकरण शुल्क होगी .

स्पष्टीकारण— इस प्रयोजन के लिए "नये उद्योग" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई जिसने 1 नवंबर 2001 के पूर्व उत्पादन न किया हो और स्टाम्प शुल्क के छूट के संबंध में लघु उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा तथा वृहद/मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में उद्योग आयुक्त/अपर आयुक्त स्तर से इस प्रकार प्रमाणित किया जाय .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक एफ -10-19/2002/वा.कर(पं.)/पांच (31)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-19/2002/वा.कर (पं.)/पांच (31), दिनांक 27 मार्च, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-19/2002/C.T. (R)/V(31)—In exercise of the powers conferred by Section 78 of Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908) the State Government, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification No. B-818-635-5, S.R. dated 24th Feb. 1975 and publishes the same as per the required by Section 79 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in the table of registration fees, in article-1, after note 6, the following note shall be inserted, namely :-

7. By reducing registration fees, the registration fees shall be one rupee on one thousnad rupees to the new industries at the time of obtaining loan from Bank/Financial institution.

Explanation :- For this purpose "New Industry" means an industrial unit which has not gone in to production before 1-11-2001 and is so certified by the Commissioner/Additional Commissioner, Industries in the cases of Major/Medium industries and by the General Manager, District Trade and Industry Centre of the concerned district, in the cases of Minor Industries.

By order and in the name of the Governor the Chhattisgarh,
K.R. MISRA, Deputy Secretary.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2002—भाद्र 1, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/75/2002/वाक (पं.)/पांच (93).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 5 तथा 7 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा :—

1. उक्त अधिनियम के लिये कोरबा जिला गठित करती है तथा निर्देश देती है कि उक्त जिले की सीमायें, कोरबा जिले की राजस्व सीमाओं के सम विस्तीर्ण रहेंगी तथा इस प्रयोजन से इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 35397-आर. दिनांक 25 जनवरी, 1958 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में—

(i) प्रथम अनुसूची में, बिलासपुर संभाग शीर्ष के अंतर्गत, "बिलासपुर" शब्द के नीचे प्रथम एवं द्वितीय खण्ड में शब्द कोरबा अंत: स्थापित किया जाये.

(ii) द्वितीय अनुसूची में, बिलासपुर संभाग शीर्ष के नीचे बिलासपुर जिले की सीमायें इस प्रकार परिवर्तित की जाएं जिससे कि उसमें संपूर्ण कोरबा, कटघोरा, करतला, पाली तहसीलें अपवर्जित हो जाएं, तथा कोरबा, कटघोरा, करतला, पाली को समाविष्ट करते हुये नवीन जिला कोरबा गठित हो.

2. कोरबा में एक कार्यालय स्थापित करती है जिसका अभिनाम जिला पंजीयक कार्यालय कोरबा होगा, और

3. यह निर्देश देती है कि खण्ड (1) तथा (2) के अधीन जिले का बनाया जाना तथा जिला पंजीयक कार्यालय का स्थापित किया जाना 5-9-2002 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक एफ 10/75/2002/वाक (पं)/पांच (93).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/75/2002/वाक/(पं.)/ पांच (93), दिनांक 23-8-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd August 2002

NOTIFICATION

No. F 10/75/2002/CT (R)/V (93).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State Government, hereby :—

1. Forms for the said Act the district of Korba and directs that the limits of the said district shall be coextensive with the revenue limits of Korba district and for the purpose makes the following amendment in this Department's notification No. 35397-VI-R dated 25th January, 1958 namely :—

AMENDMENT

In the said notification—

(i) In the first schedule, under the heading Bilaspur Division, the first and second columns below the word "Bilaspur", the word "Korba" shall be inserted.

(ii) In the second schedule, under the heading of Bilaspur Division, the limits of Bilaspur District be altered as to exclude there from the whole of Korba, Kathghora, Kartala, Pali, Tahsils and a new District Korba be created.

2. Established an office in Korba to be styled as the office of the District Registrar Korba, and

3. Directs that the formation of the District and the establishment of the office of District Registrar under clause (1) and (2) shall take effect on and from 5-9-2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/75/2002/वाक (पं.)/पांच (94).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 5 तथा 7 के अनुसरण **में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा :—**

1. **उक्त अधिनियम के लिये धमतरी जिला गठित करती है तथा निर्देश देती है कि उक्त** जिले की सीमायें, धमतरी जिले की राजस्व सीमाओं के **सम विस्तीर्ण रहेंगी तथा इस प्रयोजन से इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक** 35397-आर. दिनांक 25 जनवरी, 1958 में निम्नानुसार संशोधन **करती है, अर्थात् :—**

संशोधन

उक्त अधिसूचना में—

(i) प्रथम अनुसूची में, रायपुर संभाग शीर्ष के अंतर्गत, "रायपुर" शब्द के नीचे प्रथम एवं द्वितीय खण्ड में शब्द धमतरी अंत: स्थापित किया जाये.

(ii) द्वितीय अनुसूची में, रायपुर संभाग शीर्ष के नीचे रायपुर जिले की सीमायें इस प्रकार परिवर्तित की जाएं जिससे कि कुरूद, नगरी, धमतरी तहसीलें अपवर्जित हो जाएं तथा कुरूद, नगरी, धमतरी को समाविष्ट करते हुए नवीन जिला धमतरी गठित हो.

2. धमतरी में एक कार्यालय स्थापित करती है जिसका अभिनाम जिला पंजीयक कार्यालय धमतरी होगा, और

3. यह निर्देश देती है कि खण्ड (1) तथा (2) के अधीन जिले का बनाया जाना तथा जिला पंजीयक कार्यालय का स्थापित किया जाना 5-9-2002 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक एफ 10/75/2002/वाक (पं)/पांच (94).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/75/2002/वाक/(पं.)/ पांच (94), दिनांक 23-8-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd August 2002

NOTIFICATION

No. F 10/75/2002/CT (R)/V (94).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and 7 of the Regisration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State Government, hereby :—

1. Forms for the said Act the district of Dhamtari and directs that the limits of the said district shall be coextensive with the revenue limits of Dhamtari District and for the purpose makes the following amendment in this Department's notification No. 35397-VI-R dated 25th January, 1958 namely :—

AMENDMENT

In the said notification—

(i) In the first schedule, under the heading Raipur Division, the first and second columns below the word "Raipur" the word "Dhamtari" shall be inserted.

(ii) In the Second schedule, under the heading of Raipur Division the limits of Raipur District be altered as to exclude there from the whole of Kurud, Nagari, Dhamtari Tahsils and a new Registration District Dhamtari be created.

2. Established an office in Dhamtari to be styled as the office of the District Registrar Dhamtari, and

3. Directs that the formation of the District and the establishment of the office of District Registrar under clause (1) and (2) shall take effect on and from 5-9-2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 नवम्बर 2002—कार्तिक 21, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-91 2002/वा.क. (पं.)/पांच (114).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा बिलासपुर जिले के रजिस्ट्रीकरण उप-जिला मरवाही की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को अपवर्जित कर उन्हें रजिस्ट्रीकरण उप जिला पेण्ड्रारोड में सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

अनु. क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	प.ह.नं. (3)	राजस्व निरीक्षक मंडल (4)	उप तहसील (5)
1.	दरमोहली	12	पेण्ड्रा	मरवाही
2.	पिपरिया	12	पेण्ड्रा	मरवाही
3.	पड़खुरी	12	पेण्ड्रा	मरवाही
4.	खैरझिटी	12	पेण्ड्रा	मरवाही

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	डोंगरिया	12	पेण्ड्रा	मरवाही
6.	मसुरीखार	12	पेण्ड्रा	मरवाही
7.	गुदुमदेवरी	12	पेण्ड्रा	मरवाही
8.	तौली	12	पेण्ड्रा	मरवाही
9.	झिरनापोड़ी	13	पेण्ड्रा	मरवाही
10.	नरौर	13	पेण्ड्रा	मरवाही
11.	लरकेनी	13	पेण्ड्रा	मरवाही
12.	धनपुर	13	पेण्ड्रा	मरवाही
13.	धोबहर	13	पेण्ड्रा	मरवाही
14.	अण्डी	17	पेण्ड्रा	मरवाही
15.	नगवाही	17	पेण्ड्रा	मरवाही
16.	डूमरखेरवा	17	पेण्ड्रा	मरवाही
17.	कोंदवाही	17	पेण्ड्रा	मरवाही
18.	सिलपहरी	17	पेण्ड्रा	मरवाही
19.	लटकोनीखुर्द	17	पेण्ड्रा	मरवाही
20.	मझौरा	18	पेण्ड्रा	मरवाही
21.	कोटखर्रा	18	पेण्ड्रा	मरवाही
22.	मझगवां	18	पेण्ड्रा	मरवाही
23.	बगड़ी	18	पेण्ड्रा	मरवाही
24.	खम्हा	18	पेण्ड्रा	मरवाही
25.	सपनी	18	पेण्ड्रा	मरवाही

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	लखनवाही	18	पेण्ड्रा	मरवाही
27.	मेढ़ुका	19	गौरेला	मरवाही
28.	बरवासन	19	गौरेला	मरवाही
29.	भस्कुरा	19	गौरेला	मरवाही
30.	दर्री	19	गौरेला	मरवाही
31.	गुम्माटोला	19	गौरेला	मरवाही

2. यह अधिसूचना दिनांक 18-11-2002 से प्रभावशील होगी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ 10-91-2002/वा.क. (पं.)/पांच (114).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-91-2002/वा.क. (पं.)/पांच (114), दिनांक 12-11-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 12th November 2002

NOTIFICATION

No. F-10-91-2002/CT (R)/V (114).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government hereby excludes the following villages from the limits of Registration sub-district Marwahi (Bilaspur) and includes them in the limits of Registration sub-district, Pendra (Bilaspur), namely :—

S. No. (1)	Name of Village (2)	Patwari Circle (3)	Revenue Insector Circle (4)	Sub-District (5)
1.	Darmohali	12	Pendra	Marwahi
2.	Pipariya	12	Pendra	Marwahi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Padkhuri	12	Pendra	Marwahi
4.	Khairjhiti	12	Pendra	Marwahi
5.	Dongariya	12	Pendra	Marwahi
6.	Masurikhar	12	Pendra	Marwahi
7.	Gudumdevri	12	Pendra	Marwahi
8.	Tauli	12	Pendra	Marwahi
9.	Jhiranapodi	13	Pendra	Marwahi
10.	Naraur	13	Pendra	Marwahi
11.	Larakeni	13	Pendra	Marwahi
12.	Dhanpur	13	Pendra	Marwahi
13.	Dhobhar	13	Pendra	Marwahi
14.	Andi	17	Pendra	Marwahi
15.	Nagwahi	17	Pendra	Marwahi
16.	Dumarkherava	17	Pendra	Marwahi
17.	Kodwahi	17	Pendra	Marwahi
18.	Silpahari	17	Pendra	Marwahi
19.	Latakoni Khurd	17	Pendra	Marwahi
20.	Mahora	18	Pendra	Marwahi
21.	Kotkharra	18	Pendra	Marwahi
22.	Majhaganva	18	Pendra	Marwahi
23.	Bagadi	18	Pendra	Marwahi
24.	Khanta	18	Pendra	Marwahi
25.	Sapani	18	Pendra	Marwahi
26.	Lakhanwahi	18	Pendra	Marwahi
27.	Medhuka	19	Gorela	Marwahi
28.	Barvasan	19	Gorela	Marwahi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29.	Bhaskura	19	Gorela	Marwahi
30.	Darri	19	Gorela	Marwahi
31.	Gummatola	19	Gorela	Marwahi

2. This notification will be effective from 18-11-2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.